म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल (म.प्र.)

द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन– 462011, दूरभाष नं. 0755–2570424, फैक्स नं. 0755–2556619

क्र./एफ–27–1228/एड्स/उपार्जन/2018/818 भोपाल, दिनांक 20/2/18

निविदा–प्रपत्र

(इस कार्यालय में साफ–सफाई एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था हेतु)

कार्यालयीन उपयोग हेतु	
आवेदन की कीमत रूपये 50/– (रूपये पचास मात्र)	कार्यालय की पदमुद्राः

निविदा के उपयोग हेतु

अ.	फर्म का विवरण :–		
1–	फर्म का नाम	:	
2–	फर्म का पूर्ण पता	:	.... शहर..........जिला..........राज्य..........पिन..........
3–	फर्म का दूरभाष, मोबाईल नं. एवं ईमेल		दूरभाष नं....................... मोबाईल नं.......................
	फर्म का ईमेल आईडी	:	
4–	फर्म का पंजीयन क्रमांक	:	
5–	PAN No.		
6–	GST No.	:	
ब.	**बैंक खाते की जानकारी**	:	
1–	खाताधारक का नाम	:	
2–	बैंक का नाम	:	
3–	शाखा का नाम	:	
4–	आईएफएस कोड	:	
5–	खाता क्र.	:	

वचन–पत्र

मै श्री..........................पुत्र श्री..........................पता.......................... पिन कोड..........................दूरभाष/मोबाइल नं..........................वचन देता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तावित निविदा फीस पास होने पर आपके द्वारा दी गई शर्ते अनुसार सामग्री प्रदाय न करने एवं साफ–सफाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्था समिति के अनुसार नही होने पर पर जमा धरोहर राशि/परफॉरमेंस सिक्युरिटी राशि नियमानुसार जब्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

गवाह के हस्ताक्षर

....

नाम व पूरा पता

....

....

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

....

नाम व पूरा पता..........................

....

....

निविदा की शर्ते एवं नियम

1. निविदा निम्नानुसार भरकर प्रस्तुत करे:–

– तकनीकी, एवं अन्य आवश्यक जानकारी:–

कृपया तकनीकी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज **पत्रक–1** में अंकित करते हुए तथा दस्तावेज संलग्न करते हुए, एक **पृथक सीलबंद लिफाफे** में प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर **"तकनीकी प्रस्ताव"** अंकित करें।

– वित्तीय जानकारी:–

कृपया केवल दरें **पत्रक–2 एवं 3** में अंकित करते हुए, एक **पृथक सीलबंद लिफाफे में** प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर **"वित्तीय प्रस्ताव"** अंकित करें।

इसके पश्चात् **उक्त दोनो पृथक–पृथक लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) को** एक **अन्य बडे सीलबंद लिफाफे में** प्रस्तुत कर लिफाफे के ऊपर **"निविदा क्र., कार्य का नाम, एवं फर्म का नाम एवं पूर्ण पता दूरभाष सहित"** अंकित करते हुए, प्रस्ताव इस कार्यालय के **"परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल' (म.प्र.) 462011"** के पते पर दिनांक 13.03.2018 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में भेजे।

2. प्राप्त सील बंद प्रस्ताव को अंतिम तिथि 13.03.2018 को ही दोपहर 3:30 बजे समस्त उपस्थितों के समक्ष खोला जावेगा। (सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव खोले जावेगे, तकनीकी रूप से योग्य पाए गए निविदकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगे)

3. निविदा फार्म आवेदन शुल्क राशि रूपये 50/– (रूपये पचास मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पक्ष में देय हो, के रूप में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे के बीच जमाकर, कार्यालय, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स भोपाल से प्राप्त किये जा सकेगें।

4. यदि निविदाकर्ता इस समिति की वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग करता है तो उसे निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 50/– (राशि रूपये पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि, जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से जारी होगा, संलग्न करना होगा। शासकीय संस्थाओ/विभागों/उपक्रम/निकाय के लिए यह शर्त लागू नही होगी।

5. निविदा में दरें देते समय सभी प्रकार के टैक्स का भी पृथक से टैक्सवार उल्लेख किया जाएं।

6. निविदा में किसी भी प्रकार की शर्ते अथवा काटपीट या ओव्हर राईटिंग नही होनी चाहिए। ओव्हर राईटिंग की स्थिति में उस स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए।

7. यदि फर्म ने पूर्व में समिति में कार्य किया है एवं उसका कार्य संतोषजनक नही रहा है तो न्यूनतम दर होने पर भी फर्म को नॉन रिसपांसिव किया जा सकता है।

8. दरों का मूल्यांकन समग्र आधार पर किया जावेगा।

9. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निविदा की प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10. इस कार्य एवं शर्तो के संबंध में अंतिम तिथि के एक दिवस पूर्व तक स्पष्टीकरण/परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है। अतः निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वे अंतिम दिवस तक समिति की वेब साईट www.mpsacsb.org अथवा समिति कार्यालय के सूचना पटल पर इस संबंध में जानकारी यदि कोई हो तो, उसके आधार पर ही निविदा में अपनी दरें प्रस्तुत करें।

11. सशर्त प्रस्ताव मान्य नही होगा। यदि कोई सशर्त प्रस्ताव देता है तो उसे मान्य नही किया जावेगा साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जावेगी।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायलयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

अत्यावशक शर्तेः–

1. निविदाकर्ता को **धरोहर राशि** डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में **राशि रूपये 10,000/–** (राशि रूपये दस हजार मात्र) प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पक्ष में देय होगा। शासकीय संस्थाओं को धरोहर राशि देने की आवश्यकता नही है।

2. निविदाकर्ता का स्थापना पंजीयन होना आवश्यक है, इस संबंध में स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

3. निविदाकर्ता का भोपाल में कार्यालय/शाखा होना आवश्यक है।

4. निविदाकर्ता के पास कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड एबोलिसन) एक्ट 1970 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए। इस संबंध में वैध लायसेंस की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

5. निविदाकर्ता के पास प्राईवेट सिक्युरिटी एजेंसिस (रेगूलेशन) एक्ट् 2005 एवं संशोधन/रिवाईज म. प्र. राज्य सरकार सिक्युरिटी एजेंसिस रेगूलेशन के अंतर्गत वैध सिक्युरिटी सर्विसेस का लायसेंस होना चाहिए। इस संबंध में वैध लायसेंस की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. निविदाकर्ता को आयकर, जीएसटी एवं ईपीएफ का पंजीयन होना आवश्यक है, इस संबंध में प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निविदाकर्ता को किसी शासकीय या सार्वजनिक प्रतिष्ठान की साफ–सफाई या रख–रखाव के कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये, इस संबंध में प्राप्त कार्यादेश की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

8. निविदाकर्ता का विगत तीन वित्तीय वर्षो (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) को वर्ष का कुलयोग टर्नओवर राशि रूपये 35.00 लाख होना आवश्यक है। इस संबंध में सी.ए. द्वारा प्रमाणित उक्त तीन वर्षो की आडिटेड रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

9. निविदाकर्ता को किसी शासकीय कार्यालय/ शासन के उपक्रम द्वारा इस प्रकार के कार्य में भाग लेने से वंचित किया गया है अथवा नही इस संबंध में अपने लेटरहेड पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. निविदाकर्ता को दोनो कार्य (साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था) के लिए प्रस्ताव देना अनिवार्य है।

11. यदि न्यनूतम दर प्रदायकर्ता एक से अधिक प्राप्त होते है तो अधिकतम टर्नओवर वाले निविदाकर्ता को सफल निविदाकर्ता के रूप में चयन किया जावेगा।

12. यदि कोई निविदाकर्ता अपना प्रस्ताव वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि, निर्धारित अनुसार परफॉरमेंस सिक्युरिटी राशि इस कार्यालय में जमा करने के उपरांत वापिस की जावेगी।

14. निविदाकर्ता को साफ–सफाई में लगने वाली सामग्री का नाम एवं इसकी संख्या/मात्रा एवं गुणवत्ता/कंपनी की जानकारी भी संलग्न पत्रक में देना अनिवार्य है।

15. निविदाकर्ता को कार्यालय एवं गोदाम की साफ–सफाई Mechanized करना होगी।

परफॉरमेंस सिक्युरिटी:–

1. सफल निविदाकर्ता को उसका प्रस्ताव मान्य होने पर 15 दिवस के भीतर कार्यालय में परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के पक्ष में राशि रूपये 1,00,000/– (राशि रूपये एक लाख मात्र) की बैंक गारंटी (जो कि आदेश जारी होने के दिनांक से न्यूनतम 18 माह के लिए वैध होगी) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से परफॉरमेंस सिक्युरिटी के रूप में जमा करना होगा। नियत समय में यह जमा न करने पर परियोजना संचालक के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी, उनके प्रत्येक निर्णय को आपको मान्य करना होगा।

2. सफल निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित अनुसार कार्य न करने पर परफॉरमेंस सिक्युरिटी इस कार्यालय द्वारा जब्त की जा सकती है।

साफ–सफाई से संबंधित नियम एवं शर्तें:–

1. साफ–सफाई में लगने वाले दो अकुशल श्रमिकों (एक महिला एवं एक पुरूष) की कुल न्यूनतम वर्तमान कलेक्टर दर के आधार पर ईएसआई, पीएफ एवं जीएसटी को जोडते हुए मासिक मजदूरी का भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

2. निविदाकर्ता को केवल साफ–सफाई हेतु लगने वाली सामग्री के लिए मासिक आधार पर संबंधित द्वारा ली जाने वाली राशि दर पत्रक में देना होगा। यह राशि, न्यूनतम राशि रूपये 2,000/– मासिक से कम नही होना चाहिए। दरें Round off रूपये में देना होगी, पैसे में दी गई दरें मान्य नही होगी।

3. निविदाकर्ता को साफ–सफाई में लगने वाली सामग्री का नाम एवं इसकी संख्या/मात्रा एवं गुणवत्ता/कंपनी की जानकारी भी पृथक रूप से देना होगी।

4. अनुबंधकर्ता को मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संपूर्ण कार्यालय की विहित रीति से संतोषजनक ढंग से प्रतिदिन साफ–सफाई व्यवस्था करना होगी तथा मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के भोपाल के संपूर्ण कार्यालय, सीढ़ियों सहित की साफ–सफाई हेतु न्यूनतम 2 सफाईकर्मी रखना होंगे, जिसमें एक महिलाकर्मी आवश्यक होगी। कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण

प्रतिदिन किया जावेगा एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उस दिन का भुगतान काट लिया जायेगा।

5. अनुबंधकर्ता को मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के अंतर्गत कार्यालय भवन तथा उसके पहुंचने तक की सीढ़ियां, कार्यालय की समस्त शाखाओं, कक्षों, सभा कक्ष, शौचालयों एवं कार्यालय के अन्य समस्त स्थानों पर उसकी सफाई एवं पोंछा प्रतिदिन लगाना होगा।
6. पोंछा लगाने के लिये अच्छी किस्म की फिनाईल का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना होगा।
7. थूकदान, डस्टबीन आदि की नियमित सफाई करनी होगी।
8. सप्ताह में एक दिन सभी स्थानों, कक्षों, गलियारों के जाले हटाने होंगे।
9. शौचालयों की साफ–सफाई ठीक तरह से प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे के पूर्व, 1.00 बजे, 3.00 बजे एवं सायं 4:30 बजे करनी होगी। यदि आवश्यकता हुई तो इससे अधिक बार भी शौचालयों में सफाई करनी होगी। शौचालयों में सफाई के लिये फिनाईल लिक्यूड एवं गोलियों का उपयोग किया जावेगा।
10. समस्त डस्टबीन/बाल्टियों को ठीक तरह से प्रतिदिन साफ करना होगा। डस्टबीन/बाल्टियों में सफाई मापदंड के अनुरूप पॉलीथिन लगानी होगी।
11. साफ सफाई प्रतिदिन सुबह 10.00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिये, इसके लिये सफाई कर्मचारियों को सुबह 8.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य प्रारंभ करना होगा।
12. साफ सफाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस को करना होगा। शासकीय अवकाश के दिन साफ सफाई कार्य नहीं किया जायेगा। यदि शासकीय अवकाश के दिन कार्यालय में किसी कार्यशाला अथवा अन्य हेतु कार्यालय खुलता है तो इसकी सूचना आपको दिये जाने पर आपको नियत अनुसार साफ सफाई का कार्य करना होगा, जिसके लिये कोई भी पृथक राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. प्रत्येक 15 दिवस में सभी कक्षों की धुलाई, डस्टिंग, पर्दों और सभी खिड़कियों के कांच, दरवाजों, चौखटों, ग्रिल पंखें, कूलर एवं फर्नीचर आदि की केमिकल से सफाई करनी होगी। इसमें कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मौके पर बताई गई सफाई आदि भी सम्मिलित होगी।
14. सीढ़ियों में झाड़ू पोछा दीवारों पर निशान इत्यादि की नियमित रूप से सफाई प्रतिदिन करनी होगी। इसके साथ–साथ पान की पीक के दाग एवं अन्य प्रकार की गंदगी की साफ सफाई संबंधी कार्य तत्काल करना होगा।
15. प्रतिदिन सफाई कार्य के पश्चात एकत्र रद्दी भंडार अधिकारी से जांच कराने के उपरांत बोरे में भरकर नियत स्थान पर डालना होगा, रद्दी बेची नहीं जावेगी, कटे फटे कागज आपको जलाने होंगे।
16. सभी सफाई कर्मियों को कार्यालयीन अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा।

17. साफ सफाई का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर माह के अंत में विधिवत रूप से प्रस्तुत देयक का भुगतान स्वीकृति उपरांत किया जावेगा। समस्त कार्य प्रशासकीय अधिकारी/प्रशासन प्रभारी के नियंत्रण में किये जावेंगे।

18. साफ–सफाई कार्य में उपयोग आने वाली सामग्री का पर्याप्त मात्रा में अपने सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा। समिति से किसी भी प्रकार की कोई सफाई के कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावेगा।

19. सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण भंडार अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी से कराना होगा। सामग्री पर्याप्त मात्रा में एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

<u>सुरक्षाकर्मी/अन्य सेवायें हेतु अन्य शर्ते :–</u>

1. सुरक्षा गार्ड/कुशल श्रमिक/अकुशल श्रमिक/अर्द्धकुशल/उच्च कुशल की सेवाएं लेने पर वर्तमान कलेक्टर दर, ईएसआई, पीएफ एवं जीएसटी जोडते हुए इस कार्यालय द्वारा न्यूनतम निर्धारित राशि का भुगतान इस कार्यालय से किया जावेगा। इस हेतु दरें पत्रक–3 में निर्धारित अनुसार देना होगी।

2. निविदाकर्ता को साफ–सफाई के लिए सामग्री की मासिक दरें पत्रक–2 में कर सहित देना होगी। दरें Round off रूपये में देना होगी, पैसे में दी गई दरें मान्य नही होगी। निविदाकर्ता को इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान पृथक से नही किया जावेगा।

3. कार्यालय एवं भंडार की समस्त दृष्टि से संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, समस्त उपकरण, फर्नीचर, रिकार्ड एवं समिति से संबंधित समस्त सामग्री की सुरक्षा, उन्हे किसी भी प्रकार की हानि से बचाने आदि की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी।

4. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को नियत ड्रेस में पूर्ण अनुशासन के साथ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं आगन्तुकों का सम्मान करते हुये नियत समय में कार्य का संपादन करना होगा। अन्य सेवाओं के लिये नियत ड्रेस में संबंधित को आना होगा।

5. सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कर्मी प्रशासकीय अधिकारी/ प्रशासन प्रभारी मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

6. सुरक्षाकर्मी कार्यालय में आने एवं जाने वाली प्रत्येक सामग्री की प्रविष्टि भी पंजी संधारित करते हुये करेंगे।

7. आगन्तुकों की पंजी भी पृथक से आपको रखना होगी।

8. सुरक्षा के संबंध में आवश्यक संसाधन के साथ–साथ समय–समय पर आपको दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।

<u>भुगतान एवं पैनाल्टीः–</u>

1. भुगतान हेतु देयक दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, देयक में कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर एवं आपके द्वारा सर्विस चार्ज सहित अन्य मदों में ली जाने वाली राशि पृथक से दर्शायी जानी

चाहिये, देयक में से नियमानुसार कर की राशि काटी जावेगी। देयक में लगाए गए मजदूरों का नाम,उपस्थित दिवसों की संख्या एवं उपस्थिति पत्रक अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।

2. प्रत्येक माह प्रस्तुत देयक के साथ विगत माह में कर्मचारियों की ईपीएफ में जमा की गई राशि का प्रमाणित जानकारी एवं कर्मचारियों को भुगतान उनके खाते में ई–ट्रांसफर करने की प्रमाणित जानकारी देने पर ही प्रस्तुत देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

3. आपको आपके द्वारा लगाये गये कर्मियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिले के कलेक्टर द्वारा उस *अवधि के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान* ई–ट्रांसफर *अथवा* रेखांकित चैक से अनिवार्यतः करना होगा।यदि किसी अवसर पर यह शिकायत प्राप्त होती है कि आपने ई–ट्रांसफर अथवा रेखांकित चैक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान नही किया है अथवा विलंब से भुगतान किया है तो आपकी परफारमेंस सिक्युरिटी जब्त कर ली जावेगी।

4. दैनिक आधार पर इस कार्यालय द्वारा मांग गए अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल श्रमिकों के मजदूरी की वृद्धि कलेक्टर भोपाल द्वारा समय–समय पर की गई वृद्धि के अनुसार वृद्धि की जावेगी, जिसके आधार पर ही आपको प्रतिमाह देयक प्रस्तुत करना होगा।

5. मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल की उचित साफ–सफाई न होने पर अथवा किसी अधिकारी से शिकायत आने पर या निरीक्षण के दौरान लापरवाही एवं अनियमिततायें पाये जाने की स्थिति में रुपये 300/– (रुपये तीन सौ) प्रतिदिन पेनाल्टी काटी जावेगी, जिसका कटौत्रा मासिक देयक में से किया जावेगा। नियत समय पर सुरक्षाकर्मी/अन्य के उपस्थित न रहने पर आपको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, जिसके अभाव में भी रुपये 300/– प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के मान से पेनाल्टी आपसे समायोजित की जा सकती है।

6. यदि आपको कार्य में सुधार लाने की सूचना देने के बावजूद/पांच अवसरों पर पैनाल्टी कटने के बावजूद भी आपके कार्य में सुधार नहीं लाया गया तो अनुबंध कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में आपकी परफारमेंस सिक्युरिटी जब्त की जा सकती है तथा देय लंबित भुगतान भी जब्त किया जा सकता है तथा इस संबंध में परियोजना संचालक के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही भी की जा सकती है।

7. यदि किसी दिवस आपके द्वारा सफाई का कार्य संपादित नही किया जाता है तो उस दिवस हेतु कोई राशि का भुगतान तो किया ही नही जावेगा साथ ही राशि रूपये 1000/–(राशि रूपये एक हजार मात्र) प्रतिदिवस पैनाल्टी भी काटी जावेगी।

8. साफ–सफाई कार्यो में जो भी टूट–फूट या कक्षों/परिसर को नुकसान होगा उसकी भरपाई संस्था को स्वयं करना होगा अन्यथा उसके सफाई देयक के भुगतान में हानि का समायोजन किया जायेगा।

अन्य आवश्यक शर्ते/जानकारीः–

1. अनुबंधकर्ता को साफ–सफाई कार्य/सुरक्षा कार्य में लगाये जाने वाले कर्मियों की पूर्व लिखित सूचना भंडार अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकारी को इनकी व्यक्तिगत जानकारियों सहित

पृथक–पृथक देना अनिवार्य होगा। कोई भी सफाईकर्मी/ सुरक्षाकर्मी संदेहास्पद चरित्र व आचरण का नहीं होना चाहिये।

2. संस्था द्वारा रखे गये श्रमिकों/सुरक्षा कर्मियों के संबंध में किसी भी प्रकार के श्रम/वेतन/अन्य संबंधित विवाद का निपटारा संस्था को स्वयं करना होगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व इनका ही होगा।

3. साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि का अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये किया जावेगा। एक वर्ष के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध को आपसी सहमति से बिना मूल्य वृद्धि किए हुए आगे बढाने पर विचार किया जा सकता है।

4. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोड़ा गया तो संबंधित की परफारमेंस सिक्युरिटी जब्त कर ली जावेगी एवं भविष्य में इस समिति द्वारा जारी निविदा में भाग लेने से उसे वंचित कर दिया जावेगा।

5. अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उसका अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकेगा और उसकी परफारमेंस सिक्युरिटी जब्त की जा सकेगी।

6. अनुबंध को दोनों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। संबंधित फर्म द्वारा अनुबंध बीच में समाप्त करने पर परफारमेंस सिक्युरिटी जब्त कर ली जावेगी।

7. कोई कर्मचारी आपत्तिजनक या संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न पाया जावेगा तो उसकी सेवा समाप्त करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा। किसी सफाई कर्मचारी का मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के कर्मचारियों/अधिकारियों से संपर्क भी आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होना माना जावेगा।

8. संबंधित को नियत ड्रेस उपलब्ध कराना होगी, जिसके लिये कोई भी पृथक राशि का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

9. आपको विगत कार्य के दौरान यदि किसी कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है या आपको इस कार्य हेतु योग्य नहीं ठहराया गया है तो इसकी स्पष्ट जानकारी दी जावे। यदि भविष्य में पाया जाता है कि जानकारी छिपाकर आपने कार्य प्राप्त कर लिया है तो तत्काल आपसे किया गया अनुबंध निरस्त कर आपकी परफारमेंस सिक्युरिटी जब्त करते हुये आगामी कार्यवाही की जावेगी।

10. यदि कार्यालय द्वारा आपको किए जाने वाले भुगतान में विलंब होता है तो भी आपको नियत समय पर संबंधित को भुगतान करना होगा।

11. शासन द्वारा नियत समस्त मदों में राशि भी नियमानुसार नियमित रूप से जमा करनी होगी तथा इससे संबंधित समस्त अभिलेख संधारित करने होंगे। किसी भी प्रकार की वैधानिकता के लिये निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित मदों में राशि जमा नही की गयी है, जो कि शासन के किसी भी नियम अथवा आदेश के अनुसार जमा

की जाना आवश्यक है तो, ऐसी स्थिति में आपको राशि जमा तो करनी ही होगी, साथ ही साथ किसी भी विषम स्थिति के लिए आप स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे।

12. पत्रक में दर्शित दरों के अतिरिक्त कोई भी राशि, अतिरिक्त कर आदि का भुगतान अनुबंध अवधि में नही किया जावेगा। दरें दर्शित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि आपके द्वारा दर्शित दरों में शासन द्वारा नियत विभिन्न मदों में जमा की जाने वाली राशि, कर आदि को सम्मिलित कर लिया गया है।

13. प्रस्ताव देते समय यह सुनिश्चित कर लें कि वर्तमान में शासन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस–किस मद में कितनी–कितनी राशि का भुगतान/जमा आपको करना है। आपके द्वारा दर्शित दरों में समस्त प्रकार के कर, व्यय, सर्विस टैक्स, मजदूरी आदि सम्मिलित रहेंगे।

14. अनुबंध अवधि के दौरान दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।

15. साफ–सफाई व्यवस्था को छोड़कर सुरक्षाकर्मी/अन्य सेवाओं के लिये लगने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 12 है, जिसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

16. आपको इस कार्यालय में लगाए गए कर्मियों का नाम, पता आदि सहित पूर्ण आवश्यक जानकारी, आवश्यक दस्तावेजों सहित रखनी होगी, जिसे कभी भी इस कार्यालय द्वारा मांगा जा सकता है।

17. यदि आपके द्वारा वांछित जानकारी नियत समय में इस कार्यालय को नही दी गयी है अथवा आपने ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस निविदा को अंतिम किए जाने के लिए आवश्यक है गलत रूप से दी है अथवा छुपाई है अथवा नियत अनुसार कार्य न करने पर आपका आदेश निरस्त कर दिया गया है तो आपको मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं आगामी तीन वित्तीय वर्षो में इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा में भाग नहीं लेने दिया जावेगा अर्थात् इस अवधि में आपके प्रस्ताव पर कोई भी विचार नहीं किया जावेगा।

18. यदि आप उल्लेखित शर्तो की अधीन कार्य करने के लिए सहमत है, तो कृपया आप नियत अनुसार प्रस्ताव देने का कष्ट करें।

(परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)

उपार्जन अधिकारी
वास्ते परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन
1, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) 462011

निविदाकर्ता/दर प्रदायकर्ता द्वारा निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे

क्र.	दस्तावेजों की सूची	विवरण	संलग्न पेज नं.
1.	यदि आपने वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र का उपयोग किया है तो निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 50/– के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक का विवरण	बैंक का नाम.. ड्राफ्ट क्र... दिनांक... राशि रूपये..	
2.	धरोहर राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) (ड्राफ्ट/बैंकस चैक)	बैंक का नाम.. ड्राफ्ट क्र... दिनांक... राशि रूपये..	
3	निविदाकर्ता का स्थापना पंजीयन होना आवश्यक है, इस संबंध में स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।		
4	निविदाकर्ता का भोपाल में कार्यालय/शाखा होना आवश्यक है।		
5	निविदाकर्ता के पास कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड एबोलिसन) एक्ट 1970 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए। इस संबंध में वैध लायसेंस की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		
6	निविदाकर्ता के पास प्राईवेट सिक्युरिटी एजेंसिस (रेगूलेशन) एक्ट् 2005 एवं संशोधन/रिवाईज म.प्र. राज्य सरकार सिक्युरिटी एजेंसिस रेगूलेशन के अंतर्गत वैध सिक्युरिटी सर्विसेस का लायसेंस होना चाहिए। इस संबंध में वैध लायसेंस की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		
7	निविदाकर्ता के पास आयकर का पंजीयन होना आवश्यक है, इस संबंध में प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।		
8	निविदाकर्ता के पास जीएसटी का पंजीयन होना आवश्यक है, इस संबंध में प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।		
9	निविदाकर्ता के पास ईपीएफ का पंजीयन होना आवश्यक है, इस संबंध में प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।		
10	निविदाकर्ता को किसी शासकीय या सार्वजनिक प्रतिष्ठान की साफ–सफाई या रख–रखाव के कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये, इस संबंध में प्राप्त कार्यादेश की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।		
11	निविदाकर्ता का विगत तीन वित्तीय वर्षो के टर्नओवर का कुलयोग राशि रूपये 35.00 लाख होना आवश्यक है। इस संबंध में सी.ए. द्वारा प्रमाणित उक्त तीन वर्षो की आडिटेड रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	वित्तीय वर्ष — टर्नओवर 2014–15 .... 2015–16 .... 2016–17 .... कुल टर्नओवर	

निरंतर.............

12	निविदाकर्ता को किसी शासकीय कार्यालय/ शासन के उपक्रम द्वारा इस प्रकार के कार्य में भाग लेने से वंचित किया गया है अथवा नही इस संबंध में अपने लेटरहेड पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		
13	निविदाकर्ता को साफ–सफाई में लगने वाली सामग्री का नाम एवं इसकी संख्या/मात्रा एवं गुणवत्ता/कंपनी की जानकारी भी पृथक से संलग्न करें		
14	साफ–सफाई में लगने वाली Mechanized Machine का मेक एवं मॉडल की जानकारी देवे।		

नोटः– निविदा में केवल आवश्यक एवं उपरोक्तानुसार मांग गए दस्तावेज ही संलग्न करें। अनावश्यक कागज/दस्तावेज न लगाये तथा पूर्व से ही स्पायरल किए हुए दस्तावेजों का बंच न लगाये।

फर्म का नाम..
फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर................................
नाम...
दिनांक...
पता...

दर पत्रक
(साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु)

क्र	विवरण	(रूपये में)	
		अंको में	शब्दों में
1	कार्यालय की साफ–सफाई हेतु मासिक रूप से लगने वाली सामग्री की लागत Round off रूपये में (पैसे में दी गई दरें मान्य नही होगी) (राशि न्यनूतम रूपये 2,000/– होना चाहिए)		
2	जोडेः– कर (यदि कोई हो तो)		
	कुल राशि रूपये कर सहित		

मेरे द्वारा आपके कार्यालय के पत्र क्र. एफ 27–1228/उपार्जन/एड्स/2018/ 518 दिनांक 20/2/18 में उल्लेखित नियम एवं शर्ते ध्यानपूर्वक पढ एवं समझ ली गई है, मै उक्त दरों पर इन नियम एवं शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूं।

फर्म का नाम...
फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.................................
नाम...
दिनांक...
पता...
....
....
फोन नं./मो.नं...

दर पत्रक
(अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल श्रमिकों हेतु)

क्र.	श्रमिक का प्रकार	न्यूनतम मजदूरी वर्तमान कलेक्टर दर पर	पीएफ की राशि रूपयें	ईएसआई की राशि रूपये	सर्विस चार्ज की राशि रूपये	अन्य कोई चार्जेस (यदि कोई है तो)राशि रूपये	जीएसटी की राशि रूपये	कुल राशि रूपये (प्रति कर्मचारी) (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रति अकुशल श्रमिक							
2	प्रति अर्द्धकुशल श्रमिक							
3	प्रति कुशल श्रमिक							
4	प्रति उच्च कुशल श्रमिक							

मेरे द्वारा आपके कार्यालय के पत्र क्र. एफ 27–1228/उपार्जन/एड्स/2018/518 दिनांक 20/2/18 में उल्लेखित नियम एवं शर्ते ध्यानपूर्वक पढ एवं समझ ली गई है, मै उक्त दरों पर इन नियम एवं शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूं।

फर्म का नाम...

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.................................

नाम..

दिनांक...

पता...

....

....

फोन नं./मो.नं...